भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3027

उत्तर देने की तारीख 18/03/2026

आंध्र प्रदेश में जनजातीय कल्याण योजनाएँ

3027 श्री मेदा रघुनाधा रेड्डी:

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश में जिला-वार कुल जनजातीय जनसंख्या कितनी है;

(ख) जनजातीय कल्याण योजनाओं के लिए आवंटित तथा व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य में स्थापित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) की संख्या कितनी है;

(घ) क्या जनजातीय समुदायों के समावेशन के संबंध में कोई प्रस्ताव लंबित है; और

(ङ) जनजातीय समुदायों के लिए आजीविका के अवसरों में सुधार करने हेतु क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क) आंध्र प्रदेश में जिला-वार कुल जनजातीय जनसंख्या निम्नवत दी गई है:

जनगणना 2011

क्र.सं.	राज्य	जिला	कुल जनसंख्या	अजजा जनसंख्या	अजजा का %
1	आंध्र प्रदेश	अनंतपुर	4081148	154127	3.78
2	आंध्र प्रदेश	चित्तूर	4174064	159165	3.81
3	आंध्र प्रदेश	पूर्वी गोदावरी	5154296	213195	4.14
4	आंध्र प्रदेश	गुंटूर	4887813	247089	5.06
5	आंध्र प्रदेश	कृष्णा	4517398	132464	2.93
6	आंध्र प्रदेश	कुरनूल	4053463	82831	2.04
7	आंध्र प्रदेश	प्रकाशम	3397448	151145	4.45
8	आंध्र प्रदेश	श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर	2963557	285997	9.65
9	आंध्र प्रदेश	श्रीकाकुलम	2703114	166118	6.15
10	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम	4290589	618500	14.42
11	आंध्र प्रदेश	विजयनगरम	2344474	235556	10.05
12	आंध्र प्रदेश	पश्चिम गोदावरी	3936966	109072	2.77
13	आंध्र प्रदेश	वाई.एस.आर.	2882469	75886	2.63

स्रोतः पीसी11_ए11ए, जनगणना 2011, आरजीआई, गृह मंत्रालय

आंध्र प्रदेश के 13 मूल जिलों को अब आंध्र प्रदेश के 28 नए जिलों में पुनर्गठित किया गया है (वेबसाइटः (Website: https://igod.gov.in/sg/AP/E042/organizations)

इन 28 जिलों की जिला-वार अजजा आगामी जनसंख्या की जनगणना से उपलब्ध होगी।

इस दौरान आंध्र प्रदेश के लिए पीसीए 2011 उप-जिला सार उप-जिला-वार आंध्र प्रदेश अजजा जनसंख्या जनगणना 2011 के लिए **पीसी 11_पीसीए-एसटी, जनगणना 2011, आरजीआई, गृह मंत्रालय** पर देखा जा सकता है।

(ख) जनजातीय कल्याण योजनाओं के लिए आवंटित और उपयोग की गई निधियों का विवरण निम्नानुसार हैः

आंध्र प्रदेश राज्य के लिए योजना-वार जारी निधि				
		जारी निधि (करोड़ में)		
क्र.सं.	**योजना**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
1	डीएजेजीयूए	एनए	एनए	एनए
2	पीएम जनमन (एमपीसी)	एनए	14.97	5
3	पीएम जनमन (वीडीवीके)	एनए	153.82	एनए
4	ईएमआरएस	126.00	107.95	202.52
5	संविधान का अनुच्छेद 275(1)	एनए	एनए	98.42
6	टीएसएस को एससीए (पीएमएएजीवाई)	एनए	एनए	एनए
7	स्वैच्छिक संगठनों (एनजीओ) को सहायता	1.83	0.92	2.49
8	मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	एनए	57.00	30.77
9	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	133.57	114.71	120.00
10	एनएसटीएफडीसी	41.20	55.52	60.392
11	टीआरआई को सहायता	2.19	1.25	एनए

ट्राईकोर: आंध्र प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विभिन्न आर्थिक सहायता योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 110.60 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है। इसके अलावा, अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए निम्नलिखित कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

(राशि करोड़ों में)

क्र.सं.	**योजना का नाम**	**लाभार्थियों की संख्या**	**आवंटित राशि**	**उपयोग की गई राशि**
1	NTR भरोसा पेंशन योजना	3,77,784	1549	1549
2	समुद्री मछली पकड़ने पर प्रतिबंध राहत योजना	1,018	2.04	2.04

3	स्व-स्वामित्व वाले ऑटो रिक्शा/मोटर कैब/मैक्सी कैब चालक	13,456	20.18	20.18

जनजातीय उप-योजनाः **वित्त वर्ष 2025-26 के लिए टीएसपी (जनजातीय उप योजना)** बजट का वित्तीय सारांश निम्न प्रकार हैः

• कुल आवंटन: 8,159.68 करोड़ रुपये

• कुल व्यय: 5,170.79 करोड़ रुपये (31.01.2026 तक)

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जनजातीय उप योजना के तहत बजट आवंटन का विवरण संलग्न है।

शिक्षा:

- जनजातीय शिक्षा के लिए वर्ष 2025-26 के लिए आज की तारीख तक 1,25,560 हेतु 945.03 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई और 796.27 करोड़ रुपये उपयोग किए गए।
- 2025-26 के लिए तल्लिकी वंदनम योजना के तहत 492697 छात्रों के लिए 650.38 करोड़ रुपये की राशि उपयोग की गई।
- वर्ष 2025-26 के लिए 30,050 छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के अंतर्गत अब तक 25.87 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है।
- पीएम जनमन के अंतर्गत 125 एमपीसी के निर्माण के लिए 75.00 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई और अब तक 44.95 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं।

(ग) जनजातीय बच्चों को उनके अपने वातावरण में नवोदय विद्यालय के समकक्ष गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 2018-19 में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) की केन्द्रीय क्षेत्र योजना शुरू की गई थी। मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश राज्य में 28 ईएमआरएस को मंज़ूरी दी है, सभी ईएमआरएस के क्रियाशील होने की सूचना है। स्थिति नीचे दी गई है:

आंध्र प्रदेश राज्य में कार्यात्मक ईएमआरएस की स्थिति

क्र.सं.	जिला	ब्लॉक/तालुका	स्कूल का नाम	नामांकित छात्रों की कुल संख्या
1	अल्लूरी सीताराम राजू	मारेडुमिल्ली	ईएमआरएस मारेडुमिल्ली	472
2	अल्लूरी सीताराम राजू	वाई. रामावरम	ईएमआरएस वाई रामावरम	466
3	तिरुपति	बुचिनायडू कंद्रिगा	ईएमआरएस कंद्रिगा	380
4	अल्लूरी सीताराम राजू	अड्डाटीगाला	ईएमआरएस अड्डाटीगाला	292
5	अल्लूरी सीताराम राजू	चिंतूर	ईएमआरएस चिंतूर	473
6	अल्लूरी सीताराम राजू	राजावोम्मंगी	ईएमआरएस राजवोम्मंगी	444
7	अल्लूरी सीताराम राजू	रामपछोड़वरम	ईएमआरएस रामपछोड़वरम	300
8	मन्यम पार्वतीपुरम	भामिनी	ईएमआरएस भामिनी	447
9	प्रकाशम	डोरनाला	ईएमआरएस डोरनाला	399

10	एसपीएस नेल्लोर	कोडावलुर	ईएमआरएस कोडावलूर	438
11	तिरुपति	ओज़िली	ईएमआरएस ओज़िली	393
12	श्रीकाकुलम	मेलियापुट्टी	ईएमआरएस मेलियापुट्टी	422
13	अल्लूरी सीताराम राजू	अनंतगिरी	ईएमआरएस अनंतगिरी	297
14	अल्लूरी सीताराम राजू	अराकू वैली	ईएमआरएस अराकू वैली	297
15	अल्लूरी सीताराम राजू	चिंतापल्ली	ईएमआरएस चिंतपल्ली	445
16	अल्लूरी सीताराम राजू	डुम्ब्रिगुडा	ईएमआरएस डुम्ब्रिगुडा	440
17	अल्लूरी सीताराम राजू	जी.मदुगुला	ईएमआरएस जी मदुगुला	297
18	अल्लूरी सीताराम राजू	गुडेम कोठा वीधी	ईएमआरएस जीके वीधी	434
19	अल्लूरी सीताराम राजू	हुकुमपेटा	ईएमआरएस हुकुमपेटा	297
20	अल्लूरी सीताराम राजू	कोय्युरु	ईएमआरएस बलराम	300
21	अल्लूरी सीताराम राजू	मुंचिंगी पुट्टू	ईएमआरएस मुंचिगापुट	460
22	अल्लूरी सीताराम राजू	पडेरू	ईएमआरएस चिंतला वेधी	291
23	अल्लूरी सीताराम राजू	पेडा बयालू	ईएमआरएस लक्ष्यपुट्टू	297
24	मन्यम पार्वतीपुरम	गुम्मा लक्ष्मीपुरम	ईएमआरएस जीएल पुरम	418
25	मन्यम पार्वतीपुरम	कुरुपम	ईएमआरएस कुरुपम	367
26	मन्यम पार्वतीपुरम	मक्कुवा	ईएमआरएस अनसभद्रा	334
27	मन्यम पार्वतीपुरम	पचीपेंटा	ईएमआरएस कोटिकापेंटा	371
28	एलुरु	बुट्टायागुडेम	ईएमआरएस बुट्टायागुडेम	443

घ) जनजातीय कार्य मंत्रालय, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति की अधिसूचना के लिए नोडल मंत्रालय है, को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अजजा सूची में समुदायों के समावेशन के लिए प्रस्ताव मिलते हैं। इस तरह के प्रस्तावों पर भारत सरकार की अनुमोदित प्रविधियों के अनुसार प्रक्रिया की जाती है और एक नृजातीय रिपोर्ट के साथ संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अनुसंशित होना आवश्यक है। प्रस्तावों की जांच भारत के महापंजीयक और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा की जाती है। कई प्रस्ताव विभिन्न चरणों में जांच के अधीन रह सकते हैं क्योंकि प्रक्रिया निरंतर चलती है। आंध्र प्रदेश द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जनजातीय समुदायों को शामिल करने संबंधी कोई भी प्रस्ताव लंबित नहीं है।

ङ) निम्नलिखित योजनाएं जनजातीय आबादी के लिए आजीविका क्षेत्र को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं जैसे किः

i) प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) : जनजातीय कार्य मंत्रालय प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) को लागू कर रहा है, जिसे जनजातीय आजीविका को बढ़ावा देने के लिए दो मौजूदा योजनाओं अर्थात् "न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उपज (एमएफपी) के विपणन के लिए तंत्र और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास" और "जनजातीय उत्पादों/उपज के विकास और विपणन के लिए संस्थागत सहायता" के विलय के माध्यम से तैयार किया गया है । जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 27 मार्च, 2023 को 'प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम)' के परिचालन दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया है। पीएमजेवीएम के तहत एमएफपी के लिए एमएसपी घटक अनुसूचित

जनजाति और अन्य पारंपरिक वननिवासियों को सुरक्षा कवच और सहायता प्रदान करता है, जिनकी आजीविका एमएफपी के संग्रहण और बिक्री पर निर्भर करती है।

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पीएम जेवीएम वीडीवीके का विवरण (31.12.2025 तक)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**वीडीवीके विवरण**		**वित्त पोषण विवरण (लाख में)**	
		स्वीकृत वीडीवीके की संख्या	**लाभार्थियों की कुल संख्या**	**स्वीकृत निधियां**	**जारी की गई निधियां**
1	**आंध्र प्रदेश**	415	123258	6162.9	3604

ii) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास (एनएसटीएफडीसी) विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए 10.04.2001 को स्थापित एक शीर्ष संगठन है। इस निगम को जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत एक सरकारी कंपनी के रूप में बनाया गया (निगमित किया गया) था और इसे कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) के तहत लाइसेंस प्रदान किया गया था। अनुसूचित जनजाति उद्यमियों को ऋण प्रदान किए जाते हैं।

2025-26 के दौरान राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) द्वारा सहायता प्राप्त लाभार्थी (31.12.2025 तक)

क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**कुल सहायता प्राप्त लाभार्थी**	**सहायता प्राप्त महिला लाभार्थी**
1.	आंध्र प्रदेश	750	352

(iii) प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन): 15 नवंबर 2023 को, मध्य प्रदेश के रतलाम-झाबुआ-अलीराजपुर सहित 18 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में रहने वाले 75 पीवीटीजी समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) शुरू किया गया था। मिशन का उद्देश्य 3 वर्षों में, उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी, अविद्युतीकृत परिवारों का विद्युतीकरण और स्थायी आजीविका के अवसर जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। इन उद्देश्यों को 9-लाइन मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 11 उपायों के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। 28.02.2026 तक राज्य-वार और मंत्रालय-वार उपायों की प्रगति **अनुलग्नक I** में हैः

पीएम-जनमन वीडीवीके की स्थापना के लिए निधियां स्वीकृत

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वीडीवीके स्वीकृत	लाभार्थी	स्वीकृत निधियाँ (लाख में)
1	आंध्र प्रदेश	73	6,162	307.55

iv) अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजनाः सरकार देश में अनुसूचित जनजातियों और जनजातीय बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए एक कार्यनीति के रूप में अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) को लागू कर रही है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अलावा, 41 मंत्रालय/विभाग अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और गैर-अजजा आबादी के बीच विकास संबंधी अंतर को पाटने और शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़क, आवास, विद्युतीकरण, रोजगार सृजन, कौशल विकास आदि से संबंधित विभिन्न जनजातीय विकास परियोजनाओं के लिए डीएपीएसटी के तहत जनजातीय विकास के लिए प्रति वर्ष अपने कुल योजना बजट का कुछ प्रतिशत आवंटित कर रहे हैं। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए बाध्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा आवंटित निधियों के साथ योजनाएं केंद्रीय बजट दस्तावेज के व्यय प्रोफाइल के विवरण 10 बी में निम्नलिखित लिंक में दी गई हैंः

2023-24 के लिए विवरण 10ख: https://www.indiabudget.gov.in/budget 2023-24/doc/eb/stat10 b.pdf

2024-25 के लिए विवरण 10ख: https://www.indiabudget.gov.in/budget 2024-25/doc/eb/stat10 b.pdf

क्र. सं.	राज्य का नाम	ग्रामीण विकास (पीएमएवाई-जी)		ग्रामीण विकास मंत्रालय (पीएमजीएसवाई)		जल शक्ति मंत्रालय (जेजेएम)		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एनआरएचएम)	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (पोषण 2.0)		शिक्षा मंत्रालय (एसएसए)		विद्युत मंत्रालय (आरडीएसएस)		नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय		संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग-यूएसओएफ)		जनजातीय कार्य मंत्रालय		जनजातीय कार्य मंत्रालय	
		स्वीकृत मकान (एचएच)	पूर्ण (एचएच)	स्वीकृत सड़कें (किलोमीटर में)	पूर्ण (किमी में)	स्वीकृत गाँव (पेयजल आपूर्ति)	संतृप्त गाँव (पेयजल आपूर्ति)	स्वीकृत और चालू एमएमयू	स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्र	आंगनवाड़ी केंद्र क्रियाशील	स्वीकृत छात्रावास (सं.)	पूरा हुआ काम (संख्या)	स्वीकृत आवास	आवास विद्युतीकृत	स्वीकृत आवास	आवास विद्युतीकृत	कवरेज के लिए नियोजित आवास	आवास कवर किए गए	स्वीकृत एमपीसी	एमपीसी पूर्ण	स्वीकृत वन धन विकास केंद्र	कार्य शुरू हुआ
1	आंध्र प्रदेश	43593	67883	868.95	98	1964	405	140	192	146	87	3	24925	24925	1675	967	1658	1346	125	89	73	73

****